


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश


इस कार्यालय के समसंख्यक सेवानिवृति आदेश दिनांक 09.03.2018 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक श्री राम बाबू पालीवाल, व्याख्याता-वाणिज्य जन्म दिनांक 20.09.1958 जो राज्यसेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर जारी सेवानिवृति आदेश में क्रम संख्या 224 कॉलम संख्या 03 पर अंकित विद्यालय के नाम में Neva Talai- GIRWA-UDAIPUR स्थान पर आंशिक संशोधन Govt Swami Vivekanand Sr Sec School Zavar Mines (08260509408) एतद् द्वारा किया जाता है।

शेष शर्ते मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक- 26.04.18

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2018-19
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान
02. संबंधित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर
03. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
05. संबंधित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य
06. सम्बन्धित कार्मिक
07. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपडेट बाबत।
08. निजी / रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान के रूप में उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों / संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवाषिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 से अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राजमावि) श्री/सुश्री/श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	छोटूराम जाट, राजमावि, भगेगा नीमकाथाना	सीकर	01.07.1958	30.06.2018
2	धर्मवीर, राजमावि, निहालोठ	झुन्झुनू	01.07.1958	30.06.2018
3	हरनेक सिंह, राजमावि बाजूवाला-रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर	07.07.1958	31.07.2018
4	लक्ष्मणसिंह, राजमावि पार - सेवर	भरतपुर	15.10.1958	31.10.2018
5	लड्डूलाल वर्मा, राजमावि बरनावदा-खण्डार	सवाई माधोपुर	09.11.1958	30.11.2018
6	मोहन स्वरूप शर्मा, राजमावि पिचूमर, कुम्हेर	भरतपुर	01.07.1958	30.06.2018
7	निर्मला शर्मा, राजमावि आगोलाई	जोधपुर	23.06.1958	30.06.2018
8	रामभरोस मीणा, राजमावि, बून्दी	बून्दी	30.07.1958	31.07.2018
9	रामगोपाल मेघवंशी, राजमावि अलोद, बून्दी	बून्दी	05.08.1958	31.08.2018
10	रामफूल, राजमावि भटावली-कुम्हेर	भरतपुर	12.07.1958	31.07.2018
11	उमा शर्मा, राजमावि कापरेन	बून्दी	16.01.1959	31.01.2019

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018

दिनांक:- 26/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर